

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज0)

प्रकरण संख्या- 26/2021 प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक:- 14.06.2021

1. किशनलाल पुत्र मोतीलालजी जाति सुथार आयु वयस्क निवासी मांगरोल तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

– प्रार्थी

बनाम

1. देऊबाई पत्नि कानमलजी जाति लौहार आयु वयस्क निवासी मांगरोल तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. वरदीचन्द पिता घीसाजी जाति सुथार आयु वयस्क निवासी मांगरोल तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. भेरुलाल पिता उदयराम जाति मीणा आयु वयस्क निवासी मांगरोल तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. कंकुबाई पत्नि रतनलाल जाति मीणा आयु वयस्क निवासी मांगरोल तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
5. नानी बाई पत्नि दौला जाति मीणा आयु वयस्क निवासी मांगरोल तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

– विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट

### आदेश

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात वाके मौजा मांगरोल प0ह0 मांगरोल तहसील निम्बाहेडा में खाता संख्या 109 की आराजी नं0 1433 रकबा 0.4100 हैक्टेयर, भूमि स्थित है। जिस पर को कोई स्पष्ट सीमा चिन्ह नहीं है जिसके कारण प्रार्थी व विपक्षीगण के बीच सीमा चिन्ह को लेकर विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढ़ी कराई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बाबजूद तामिल एवं सूचना के अनुपस्थित होने से वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 300/-रु0 फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात वाके मौजा मांगरोल प0ह0 मांगरोल तहसील निम्बाहेडा में खाता संख्या 109 की आराजी नं0 1433 रकबा 0.4100 हैक्टेयर, भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 14.06.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)  
उपखण्ड अधिकारी  
निम्बाहेडा

